फर्द अहकाम

कमलेश वर्मा बनाम जेन्सालाल वर्मा

न्यायालय ACM (PT) शाहपुरा

संख्या 49/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	3/6/23	आज यह पत्रावली मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने से नियत तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। श्रीमान P.O. साहब [illegible] व्यस्त रहने से परापती वास्ते पुर्व आदेशानुसार दिनांक 04/8/23 को पेश हो। (4/7/23)	
	4/7/23	पत्रावली पेश हुई। इस वाद में दावा विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश होने से इस वाद में विड्रा प्रार्थना स्वीकार हो चुका है। इस कारण T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

#2021/124

न्यायालय :–सहायक कलेक्टर–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :–......49/2021
28.7.21

1. कमलेश पुत्र सुरजमल
2. दाफा देवी पत्नी सुरजमल
3. फूली देवी पत्नी महादेव प्रसाद
4. बनवारी पुत्र महादेव प्रसाद
5. मुकेश पुत्र सुरजमल
6. रामगोपाल पुत्र महादेव प्रसाद
7. रामचन्द्र पुत्र महादेव प्रसाद
8. सुरेश पुत्र महादेव प्रसाद

समस्त जाति माली, निवासी नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गैन्दालाल पुत्र रामेश्वर
2. गीता देवी पत्नी रामेश्वर
3. जगदीश पुत्र सुवा
4. श्रवणलाल पुत्र भगवान सहाय
5. बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय
6. मंगल पुत्र सुवा
7. रूडमल पुत्र मुला उर्फ मुरलीधर
8. सुरजमल पुत्र मुला उर्फ मुरलीधर
9. सेवली पत्नी भगवान सहाय
10. हनुमान पुत्र सुवा

समस्त जाति माली, निवासी नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।

11. पप्पूराम प्रजापत पुत्र कालूराम प्रजापत जाति कुम्हार निवासी मनोहरपुर, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।

मुकेश बनवारी सुरेश

रामचन्द्र

28/7/21

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

13. उपपंजीयक–शाहपुरा, कार्यालय तहसील परिसर–शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।

14. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा मनोहरपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तन नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा–मनोहरपुर।

16. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

17. गीता देवी पुत्री महादेव प्रसाद
18. गोठी देवी पुत्री महादेव
19. जानवी पुत्री सुरजमल
20. जीया पुत्री रमेश
21. तोफली देवी पुत्री महादेव प्रसाद
22. बीना पुत्री सुरजमल
23. ममता देवी पुत्री सुरजमल
24. रामेश्वरी देवी पुत्री महादेव प्रसाद
25. रिया देवी पुत्री रमेश
26. सन्तोष देवी पत्नी रमेश

समस्त जाति माली, निवासी नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

सेवामें प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि वादीगण / प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र आज न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वादीगण / प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।

2. यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1271 / 0.08, 1272 / 0.03, 1273 / 0.11 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 0.22 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0–1 लगायत 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है नकल अंतिम चौसला आधार सं0–2074 से 2077 खातासं0–272 संलग्न प्रार्थना पत्र है।
3. यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1266 / 0.41, 1282 / 0.44, 1286 / 0.02 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 0.87 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है नकल अंतिम चौसला आधार सं0–2074 से 2077 खातासं0–286 संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1270 / 0.34 है0 कुल किता–1 कुल रकबा 0.34 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है नकल अंतिम चौसला आधार सं0–2074 से 2077 खातासं0–614 संलग्न प्रार्थना पत्र है।
5. यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1268 / 0.13, 1269 / 0.37, 1274 / 0.04 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 0.54 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है नकल अंतिम चौसला आधार सं0–2074 से 2077 खातासं0–604 संलग्न प्रार्थना पत्र है।
6. यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1283 / 0.46, 1284 / 0.44, 1285 / 0.45 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 1.35 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0–3 लगायत 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज

मुकेश जनवाल सोनू
रामचन्द्र मौर्य
कलादेवी

अनुसार है नकल अंतिम फैसला आधार सं0–2074 से 2077 खातासं0–616 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

7. यहकि प्रार्थना पत्र के निम्न सं0–1 लगायत 5 में वर्णित भूमियों पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त विवादित भूमियों का खातेदारान के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नही हुआ है अप्रार्थीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करने व प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा है। तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने को आमादा है।

8. यहकि अभी 2–4 दिन पूर्व अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 कुछ भूमाफिया किस्म के लोगो के साथ उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमियों पर नाप जोख करने लगे तो प्रार्थीगण ने नापजोख करने का कारण पूछा तो अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट व ऊपजाऊ भाग पर कब्जा कर निर्माण करेगे तथा भुमि का बेचान करेगे। इसलिए नाप जोख कर रहे है जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मना किया और कहा कि आप उक्त भूमि को बिना अकृषि में परिवर्तन करवाये निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो तथा अपनी भूमि का तकास्मा नहीं हुआ है, एवं आपको किसी भी विशिष्ट भू भाग को बिना तकास्मा करवाये बेचान हस्तानान्तरण करने तथा निर्माण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 ने एलानियां कहा है कि हम तो बिना तकासमा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ

अनूप मुकेश ललकार सुरेश

रामचन्द्र सेनी

नाथीदेवी फूलीदेवी

भूभाग का बेचान दीगर लठैत व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे। इस प्रकार अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व प्रार्थना पत्र के जिमन नं0–1 लगायत 5 का बिना तकासमा करवाये विशिष्ट भू भाग बेचने पर आमादा है तथा अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 के मन में बदनियति व बेईमानी पैदा हो गयी है इस कारण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी पैदा कर प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने को आमादा फिसाद है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारा कराया जाकर प्रार्थीगण के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये।

9. यहकि प्रार्थना पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 की शामलाती सम्पति मुतनाजा है, उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधो पूला पानी, व सम्पति पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा माना जावेगा। लेकिन अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 उक्त विवादित भूमि का बिना बंटवारा करवाये ही उसके उपजाउ विशिष्टि भू भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने को आमादा है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यदि अप्रार्थी सं0–1 लगायत 10 अपने उक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सम्भव नहीं हो सकेंगी व पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी।

10. यहकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विवेचन शपथ पत्र व दस्तावेजात से प्रार्थीगण का पक्ष प्रथम दृष्टया में बलवान है व सुविधा का सन्तुलन व अकथनीय हानि का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

मुकेश सुरेश

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्नो आदि को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0—1271 / 0.08, 1272 / 0.03, 1273 / 0.11 है0 कुल किता—3 कुल रकबा 0.22 है0 एवं हाल आराजी खसरा नं0—1266 / 0.41, 1282 / 0.44, 1286 / 0.02 है0 कुल किता—3 कुल रकबा 0.87 है0 एवं हाल आराजी खसरा नं0—1270 / 0.34 है0 कुल किता—1 कुल रकबा 0.34 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0—1268 / 0.13, 1269 / 0.37, 1274 / 0. 04 है0 कुल किता—3 कुल रकबा 0.54 है0 एवं हाल आराजी खसरा नं0—1283 / 0.46, 1284 / 0.44, 1285 / 0.45 है0 कुल किता—3 कुल रकबा 1.35 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे प्रार्थी को शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, आराजी मुतनाजा का अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दिनांक :— 27/7/14

स्थान :— शाहपुरा, जयपुर

वादी/प्रार्थीगण

(1) कमलेश पुत्र सुरजमल (2) दाफा देवी पत्नी सुरजमल (3) फूली देवी पत्नी महादेव प्रसाद (4) बनवारी पुत्र महादेव प्रसाद (5) मुकेश पुत्र सुरजमल (6) रामगोपाल पुत्र महादेव प्रसाद (7) रामचन्द्र पुत्र महादेव प्रसाद (8) सुरेश पुत्र महादेव प्रसाद जाति माली, निवासी नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

न्यायालय :—सहायक कलेक्टर—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

कमलेश **बनाम** गैन्दालाल वगै0

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र

मैं कमलेश पुत्र सुरजमल जाति माली, निवासी नवलपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0) का रहने वाला हूँ जो कि सशपथ बयान करता हूँ कि :—

1. यहकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र को मैनें अच्छी तरह से पढ सुन व समझ लिया है। जिसके विवरण मे मैं परिचित हूँ।
2. यहकि प्रार्थना पत्र के तथ्य सही है, मैनें इसमें कुछ छिपाया नहीं है। ना ही कोई तथ्य मिथ्या अंकित किया है।
3. यहकि उक्त शपथ पत्र को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे।

कमलेश सैनी

दिनांक 27/7/24 ह0 शपथग्रहिता

।।सत्यापन।।

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता मजमून शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो को अपने निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य स्वीकार करता हूँ भगवान मेरा साक्षी है।

कमलेश सैनी

दिनांक :— 27/7/24 ह0 शपथ ग्रहिता

Sworn & Signed Before Me

27/7/24

Shahpura (Jaipur) Raj